न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 02 / 2019 / जैसलमेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
हजूरखां पुत्र धणीदेखां जाति मुसलमान निवासी गुडडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. श्रीमती चन्दा पत्नी इस्माईलखां जाति मुसलमान निवासी गुडडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 2. श्रीमती हकीमो पत्नी कादरखां जाति मुसलमान निवासी जैंमला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 3. मरूफ खां पुत्र धणीदेखां जाति मुसलमान निवासी गुडडी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 93 / 2016 बअनवान हजुरखां बनाम चन्दा वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सत्यनारायण पुरोहित अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण का सामलाती कृषि भूमि ग्राम गुडडी तहसील पोकरण के खसरा संख्या 155 रकबा 19.12 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खसरा की कुल भूमि में वादी का 1/4 हिस है। अपीलाधीन पैतृक है। इस भूमि के संबंध में दिनांक 02.03.1973 को एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण में पेश किया जो दिनांक 27.04.1976 को डिक्री किया गया। इस फैसले व डिक्री को करीब 39 वर्ष हो चुके है मगर मारूफ पुत्र धणीदेखं इस फैसले व डिक्री का उपयोग आज तक नहीं किया और न ही फैसला व डिक्री राजस्व में अमल दरामद हुई माफिक कानूनन फैसला व डिक्री की पालना 12 वर्ष के अन्दर अन्दर होना लाजमी है अन्यथा निर्णय व डिक्री निष्प्रभावी हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में अपीलांटस की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
केम्प जैसलमेर

डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावलियां दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावलियां पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने की कोई सूचना/नोटिस अपीलांटस को नहीं दिये गये। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का सही तरीके से परिशीलन नहीं कर राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध व अनुचित तरीके से संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि के सुस्थिापित सिद्धांत की अवहेलना कर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.1976 के विरूद्ध न तो कोई अपील पेश की तथा न ही रिव्यू किया गया वो आज भी प्रभाव में। इसलिए एक समय में एक भी की दो दो डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। पैतृक जमीन को लेकर हमारा दावा था न की अपीलांटस का। अपीलांटस द्वारा पेश दावे में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री को निष्प्रभावी करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। अपीलांट द्वारा उतरदाता/वादीगण को नाहक तंग व परेशान करने एवं वादीगण को मिले खातेदारी अधिकार से वंचित करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी

कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटस दिनांक 06.02.2019 को पोकरण आकर अपने वकील से मिलने पर व प्रकरण की तारीख पेशी का पूछने पर वकील ने प्रकरण का फैसला होने व वाद खारिज होने का कहा व नकल ले लेने का कहा जिस पर मैने प्रकरण के फैसले होने की तारीख का पता कर दिनांक 07.02.2019 को निर्णय व डिक्री की व पत्रावली की नकले प्राप्त करने पर उक्त नकलो को देखने व पढाने पर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किये जाने की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा अपीलांटस की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की अपील पत्रावलियां पर की गई बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
केम्प जैसलमेर

का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अंतिम डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने की कोई सूचना/नोटिस अपीलांटस को नहीं दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित की गई। कैम्प कोर्ट में निर्णय आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है जबकि हस्तगत प्रकरण ऐसा कुछ नहीं हुआ। वादी/अपीलांटस को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन अध्ययन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

लिहाज अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 93/2016 बअनवान हजुरखां बनाम चन्दा वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। हस्तगत वाद में मूल दावे एवं प्रतिवादी द्वारा जबावदावा पेश होने पर उसके आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रविष्टा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर